

निजी स्कूल की लैब में हुआ हादसा, चार छात्र व शिक्षक घायल

▶ प्रबंधन ने दी सफाई, पुलिस ने कहा - सब कुछ नार्मल

नव भारत न्यूज इंदौर . झलारिया स्थित शिशुकुंज स्कूल की कैमिस्ट्री लैब में शुक्रवार दोपहर प्रयोग के दौरान कांच का एक फ्लास्क फटने से चार-पांच छात्र और एक शिक्षक घायल हो गए . हादसे के बाद स्कूल परिसर में दहशत

मच गई, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति सामान्य हो गई. घटना के बारे में जहां स्कूल प्रबंधन सफाई दे रहा है, वहीं पुलिस का कहना है, अभी मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जांच चल रही है. शिशुकुंज स्कूल की लैब में जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय कक्षा सात के छात्र रसायन विज्ञान का प्रयोग देख रहे थे. इसी दौरान करीब 5 मिलीलीटर हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से भरा फ्लास्क टूट गया. इससे एसिड की कुछ बूंदें और कांच के टुकड़े पास खड़े बच्चों व शिक्षक पर जा गिरे. हादसे के तुरंत बाद स्कूल प्रबंधन ने सभी को नजदीकी तवा रोग विशेषज्ञ के पास ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया. प्रबंधन के मुताबिक, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है और सभी छात्रों की तबीयत पूरी तरह सामान्य है. सभी अभिभावकों को घटना की



जानकारी दे दी गई. प्रबंधन ने कहा कि सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और लैब की सुरक्षा व्यवस्था की पुनर्समीक्षा कर इसे और कड़ी की जाएगी. साथ ही छात्रों को सुरक्षा निर्देश दोहराए जा रहे हैं. शिक्षकों को प्रयोगों के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, थाना प्रभारी सहर्ष यादव का कहना है कि अभी तक पुलिस के पास

ये कोई विस्फोट नहीं, प्रयोग के दौरान हुई छोटी सी दुर्घटना
स्कूल की प्रिंसिपल ललिता सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कोई विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि प्रयोग के दौरान हुई एक छोटी सी दुर्घटना थी, किसी भी बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी. घटना के बाद छात्र सामान्य रूप से कक्षाओं में लौट आए, भोजन किया और अपनी-अपनी बसों से घर चले गए.

किसी की भी शिकायत नहीं आई है, जांच की जा रही है. जांच के बाद ही कुछ फिलहाल, पुलिस द्वारा मोका मुआयना कर कहा जा सकता है.

क्राइम ब्रांच ने सायबर ठगी का पूरा पैसा दिलाया वापस

▶ क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर इनकम टैक्स अधिकारी से हुई थी ऑनलाइन ठगी
▶ मचेंट अकाउंट फ्रीज कराए गए

नव भारत न्यूज इंदौर. पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सायबर अपराधों के मामलों में तुरंत कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में क्राइम ब्रांच की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक इनकम टैक्स अधिकारी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी का पूरा पैसा वापस कराकर सराहनीय उदाहरण पेश किया है. एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग के एक

अधिकारी को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और लिंक भेजकर मोबाइल का रिमोट एक्सेस ले लिया. इसके बाद उनके खाते से 1 लाख 01 हजार 360 की राशि ट्रांसफर कर दी गई. मामला सायबर हेल्पलाइन पर पहुंचते ही आरक्षक अनिल शर्मा और टीम ने तत्परता दिखाते हुए फर्जी मचेंट अकाउंट्स को फ्रीज कराया और पूरी राशि वापस कराई. दंडोतिया ने यह भी बताया कि आरोपी तकनीकी तरीके से लोगों को झांसे में लेकर फोन का नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और बैंकिंग ऐप्स के माध्यम से रकम उड़ा लेते हैं. फिलहाल, मामले में पुलिस अब ठगी में उपयोग हुए खातों और डिजिटल नेटवर्क की जांच कर रही है.

सांवेर में सिपाही से मारपीट व लूट की कहानी पलटी, नया सच आया सामने

▶ 22 हजार रुपए को लेकर उलझा मामला
▶ खुद सिपाही भूमिका की भी हो सकती है जांच

नव भारत न्यूज इंदौर. सांवेर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक सिपाही से मारपीट और 22 हजार रुपए की लूट के मामले में कहानी पलट गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना की वजह आपसी विवाद और वाहन को लेकर हुए विवाद से जुड़ी थी. पुलिस अब पूरे प्रकरण को दोबारा जांच कर रही है. सिपाही हरीश शर्मा निवासी महेश गाई लाइन, वर्तमान में चंद्रावतीगंज थाने में पदस्थ हैं. उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ड्यूटी के बाद उज्जैन रोड स्थित पंचडेरिया चौराहे के पास कुछ बदमाशों ने उनकी कार रोककर उनसे मारपीट की और गाड़ी में रखे 22 हजार रुपए लूट लिए. सूचना पर टीआई गिरिजाशंकर महोबिया टीम सहित मौके पर पहुंचे

और कुछ देर में आरोपितों को हिरासत में ले लिया. उनमें से एक की पहचान विशाल निवासी रिंगनोदिया के रूप में हुई. हालांकि, पूछताछ में कहानी का दूसरा पहलू सामने आया. बताया जा रहा है कि सिपाही की कार से बाइक सवार युवकों को कट लग गया था. इस पर उन्होंने सिपाही का पीछा कर उसे रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई हो गई. मारपीट के दौरान किसी प्रकार की लूट नहीं हुई, इस बात से आरोपितों ने इनकार किया है. पुलिस ने जांच में पाया कि सिपाही द्वारा बताए अनुसार उसके पास से मोबाइल, चेन और अंगूठी सुरक्षित मिली है. ऐसे में केवल नकदी के लापता होने का दावा संदिग्ध माना जा रहा है. पुलिस ने सिपाही से यह भी पूछा कि उसके पास 22 हजार रुपए कहाँ से आए, लेकिन वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया. फिलहाल, सांवेर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर यह विवाद आपसी कहासुनी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सिपाही की भूमिका की भी आंतरिक जांच की जा सकती है.

घायल बंदर की मौत, वन विभाग की टीम देर से पहुंची

▶ इलाज के इंतजार में तड़पा रहा बंदर

नव भारत न्यूज इंदौर. गांधीनगर इलाके में घायल अवस्था में भटक रहे एक बंदर ने इलाज न मिलने से दम तोड़ दिया. यह वही बंदर था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें लोग उसे खाना-पानी देते और उसके जल्द ठीक होने की दुआ करते दिखाई दिए थे. काले मुंह वाला यह बंदर मंगलवार को गांधीनगर क्षेत्र में एक मकान की छत पर आकर बैठ गया था. स्थानीय लोगों ने जब देखा कि उसका



एक हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. आशंका जताई जा रही है कि बंदर को करंट लगा था. पशु प्रेमी संस्था पीएफए की प्रियांशु जैन ने नव भारत को बताया कि उन्होंने रहवासियों से सूचना मिलने के बाद कई बार वन विभाग की टीम को फोन किया, लेकिन टीम मौके पर देर से पहुंची.

सड़क हादसे में लकवाग्रस्त हुए छात्र को मिला 55 लाख मुआवजा

▶ दो साल पहले कार की टक्कर से हुआ था गंभीर घायल
▶ दोनों हाथ और कमर से नीचे हुआ था गंभीर घायल

नव भारत न्यूज इंदौर. जिला न्यायालय ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए छात्र आयुष मोदी को 55 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने यह राशि बीमा कंपनी से दिलाए जाने के साथ-साथ दावा प्रस्तुति की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश भी दिए हैं. यह दुर्घटना 4 मार्च 2021 को रिंग रोड स्थित खजराना चौराहे के पास हुई थी. आयुष मोदी अपने

दोस्तों के साथ दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार के चालक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी. हादसे में आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर तथा शरीर में कई जगह चोटें आईं. डॉक्टरों के अनुसार दुर्घटना में आयुष के दोनों हाथ और कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था. वह उस समय एमसीए की तैयारी कर रहा था. बाद में आयुष ने अधिवक्ता अजय बाजपेयी के माध्यम से बीमा कंपनी के खिलाफ मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया था. कोर्ट ने साक्ष्यों और चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर यह मानते हुए कि दुर्घटना के कारण आयुष को छत पर आकर बैठ गया था. स्थायी प्रभाव पड़ा है, 55 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का निर्णय सुनाया.

एसिड से भरा फ्लास्क टूट गया. इससे एसिड की कुछ बूंदें और कांच के टुकड़े पास खड़े बच्चों व शिक्षक पर जा गिरे. हादसे के तुरंत बाद स्कूल प्रबंधन ने सभी को नजदीकी तवा रोग विशेषज्ञ के पास ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया. प्रबंधन के मुताबिक, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है और सभी छात्रों की तबीयत पूरी तरह सामान्य है. सभी अभिभावकों को घटना की



ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 391/1 से 45, एम. वी. रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 069, भारत
• टेलि. : 022-66590 510 • टोल फ्री क्र. : 1800-22-4500 • ई-मेल : marketing@ecgc.in • हमें www.ecgc.in पर संपर्क करें।
आईआरडीआई पंजीकरण संख्या : 124 सीआईएन : U74999MH1957GOI010918
ECGC/HO/02/25-26

| 30 सितंबर 2025 को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए समिकीत वित्तिय परिणाम | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--|
| प्रपत्र एनएल-1-बी-आरए राजस्व खाता | | अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं. | सितंबर 2025 को समाप्त अवधि के लिए (₹. लाख) | सितंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए (₹. लाख) |
| सं. क्र. | विवरण | | | |
| 1 | अर्जित प्रीमियम (निवल) | एनएल-4 | 538,30.92 | 516,02.35 |
| 2 | निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि | | 17,53.19 | 17,54.55 |
| 3 | ब्याज व लाभांश तथा किराया - सकल | | 156,03.80 | 178,73.21 |
| 4 | अन्य | | | |
| | क) अन्य व्यय | | | |
| | (i) शुल्क | | 76.62 | 65.78 |
| | (ii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ | | 1.01 | 2.05 |
| | (iii) विविध आय | | 28.47 | 1,35.19 |
| | ख) शेयरधारकों के खाते में योगदान | | | |
| | (i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के प्रति | | - | - |
| | (ii) प्रबंधक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक/ अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक के प्रति | | - | - |
| | कुल (क) | | 712,94.01 | 714,33.13 |
| 6 | उपगत दावे (निवल) | एनएल-5 | 454,11.78 | (503,80.30) |
| 7 | कमीशन | एनएल-6 | (13,93.96) | (27,76.19) |
| 8 | बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय | एनएल-7 | 188,42.20 | 163,82.55 |
| 9 | प्रीमियम में कमी | | - | - |
| | कुल (ख) | | 628,60.02 | (367,73.94) |
| 10 | विविध से परिचालन लाभ/(हानि) (ग) = (क-ख) | | 84,33.99 | 1082,07.07 |
| 11 | विनियोजन | | | |
| | शेयरधारकों के खाते में अंतरण | | 84,33.99 | 1082,07.07 |
| | आपात प्रारक्षित निधियों में अंतरण | | - | - |
| | अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण | | - | - |
| | कुल (ग) | | 84,33.99 | 1082,07.07 |

| प्रपत्र एनएल-2-बी-पीएल लाभ व हानि खाता | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| सं. क्र. | विवरण | अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं. | सितंबर 2025 को समाप्त अवधि के लिए (₹. लाख) | सितंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए (₹. लाख) |
| 1 | परिचालन लाभ / (हानि) | एनएल-1 | | |
| | (क) अग्रि बीमा | | - | - |
| | (ख) मरीन बीमा | | - | - |
| | (ग) विविध बीमा | | 84,33.99 | 1082,07.07 |
| 2 | निवेशों से आय | | | |
| | (क) ब्याज व लाभांश तथा किराया - सकल | | 450,30.44 | 403,88.81 |
| | (ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ | | 49,89.84 | 39,05.30 |
| | (ग) निवेशों की बिक्री पर हानि | | - | - |
| | (घ) निवेश पर प्रीमियम/छूट की ऋणमुक्ति | | (6,48.15) | (6,06.51) |
| 3 | अन्य आय | | | |
| | (क) अन्य ब्याज आय | | 2,19.67 | 5,63.90 |
| | (ख) अन्य विविध आय तथा फैंक्टरिंग आय | | 8.70 | 3,87.22 |
| | कुल (क) | | 580,34.49 | 1528,45.79 |
| 4 | प्रावधान (कराधान के अलावा) | | | |
| | (क) निवेशों के मूल्य में न्हास के लिए | | - | - |
| | (ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | (29.03) | 1,99.61 |
| 5 | अन्य व्यय | | | |
| | (क) बीमा कारोबार के अतिरिक्त अन्य व्यय | | 1,31.56 | 61.95 |
| | (ख) खराब ऋणों को बूढ़े खाते में डाला | | - | - |
| | (ग) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज | | - | - |
| | (घ) सीएसआर गतिविधियों पर व्यय | | 6,24.34 | 6,38.75 |
| | (ङ) जुमाने | | - | - |
| | (च) पॉलिसीधारक खाते में योगदान | | - | - |
| | (i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के प्रति | | - | - |
| | (ii) प्रबंधक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक/ अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक के प्रति | | - | - |
| | कुल (ख) | | 7,26.87 | 9,00.31 |
| 6 | कर पूर्व लाभ / (हानि) (क-ख) | | 573,07.62 | 1519,45.48 |
| 7 | घटाएँ | | | |
| | (क) करराधान के लिए प्रावधान | | | |
| | - आस्थगित कर | | 37.74 | 2,19.25 |
| | - चालू कर | | 130,00.00 | 371,89.00 |
| | (ख) पूर्व अवधि समायोजन | | 0.40 | (28,86.14) |
| | (ग) कर समायोजन - पूर्व वर्ष | | (2,01.37) | 5,15.76 |
| 8 | कर पश्चात लाभ / (हानि) | | 444,70.85 | 1169,07.61 |
| 9 | विनियोजन | | | |
| | (क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश | | - | - |
| | (ख) अदा किया गया अंतिम लाभांश | | - | - |
| | (ग) फैंक्टरिंग योजना के लिए प्रारक्षित निधियों में अंतरण | | - | - |
| | (घ) सामान्य निधियों में अंतरण | | - | - |
| | पिछले वर्ष से आगे लाये गए लाभ / हानि शेष | | - | - |
| | तुलन पत्र में आगे लाये गए शेष | | 444,70.85 | 1169,07.61 |

नोट्स
1. यह सार्वजनिक प्रकटीकरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीआई) के परिपत्र संख्या आईआरडीआई/एफएनडी/सीआईआर/एमआईएससी/256/09/2021 दिनांक 30 सितंबर, 2021 के अनुसार किया गया है।
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा की गई और तत्पश्चात दिनांक 07 नवंबर, 2025 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है।
3. पिछले साल के आंकड़े जहाँ भी आवश्यक हो समायोजित / पुनः वर्गीकृत किये गए हैं।
स्थान : मुंबई
दिनांक : 07 नवंबर, 2025

| प्रपत्र एनएल-3-बी-पीएस तुलन पत्र | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| विवरण | अनुसूची संदर्भ प्रपत्र सं. | 30 सितंबर 2025 को (₹. लाख) | 30 सितंबर 2024 को (₹. लाख) | |
| निधियों के स्रोत | | | | |
| शेयर पूंजी | एनएल-8 | 4338,00.00 | 4338,00.00 | |
| प्रारक्षित निधियाँ तथा अधिशेष | एनएल-10 | 9157,66.71 | 8239,16.13 | |
| शेयर पूंजी के लिए अग्रिम राशि | | - | - | |
| उचित मूल्य परिवर्तन खाता - शेयरधारक | | 1253,51.57 | 1488,12.93 | |
| उचित मूल्य परिवर्तन खाता - पॉलिसीधारक | | 440,42.45 | 668,57.98 | |
| उधार | एनएल-11 | - | - | |
| कुल | | 15189,60.73 | 14733,87.04 | |
| निधियों के अनुप्रयोग | | | | |
| निवेश - शेयरधारक | एनएल-12 | 13399,88.26 | 12088,99.83 | |
| निवेश - पॉलिसी धारक | एनएल-12ए | 4708,06.66 | 5431,28.89 | |
| ऋण | एनएल-13 | - | - | |
| स्थिर परिसंपत्तियाँ | एनएल-14 | 445,47.56 | 424,01.23 | |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) | | 27,08.95 | 41,61.52 | |
| चालू परिसंपत्तियाँ | | | | |
| नकद तथा बैंक शेष | एनएल-15 | 1336,51.49 | 1301,46.02 | |
| अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ | एनएल-16 | 797,01.03 | 975,61.62 | |
| उप कुल (क) | | 2133,52.52 | 2277,07.64 | |
| आस्थगित कर देयताएं (निवल) | | - | - | |
| चालू देयताएं | एनएल-17 | 4772,76.03 | 4755,70.80 | |
| प्रावधान | एनएल-18 | 751,67.19 | 773,41.27 | |
| उप कुल (ख) | | 5524,43.22 | 5529,12.07 | |
| निवल चालू परिसंपत्तियाँ (ग) = (क-ख) | | (3390,90.70) | (3252,04.43) | |
| विविध व्यय | एनएल-19 | - | - | |
| (बड़े खाते में न डाली गयी अथवा असमायोजित सीमा तक) | | - | - | |
| लाभ तथा हानि खाते में डेबिट शेष | | - | - | |
| कुल | | 15189,60.73 | 14733,87.04 | |

| प्रपत्र एनएल-20-विश्लेषणात्मक अनुपात अनुसूची गैर जीवन कंपनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| सं. क्र. | विवरण | सितंबर 2025 को समाप्त अवधि के लिए | सितंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए | |
| 1 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर | 9.20% | 8.73% | |
| 2 | निवल मालियत की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात | 0.05 | 0.05 | |
| 3 | निवल मालियत की वृद्धि दर | 7.30% | 16.63% | |
| 4 | निवल प्रतिधारण अनुपात | 82.46% | 84.56% | |
| 5 | निवल कमीशन अनुपात | -2.51% | -5.32% | |
| 6 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय अनुपात | 29.97% | 27.97% | |
| 7 | निवल अंकित प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय अनुपात | 31.85% | 26.64% | |
| 8 | निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल अधिमानित दावे | 84.36% | -97.63% | |
| 9 | दावे प्रावधानों की तुलना में प्रदत्त दावे | 3.39% | 1.98% | |
| 10 | सन्मिलित अनुपात | 116.21% | -70.99% | |
| 11 | निवेश आय अनुपात | 7.52% | 7.59% | |
| 12 | निवल प्रीमियम की तुलना में तकनीकी प्रारक्षित निधियाँ अनुपात | 8.69 | 9.20 | |
| 13 | हामीदारी संतुलन अनुपात | -16.77% | 171.26% | |
| 14 | परिचालन लाभ अनुपात | 15.67% | 209.69% | |
| 15 | देयताओं की तुलना में चल परिसंपत्तियाँ अनुपात | 0.52 | 0.46 | |
| 16 | निवल अर्जन अनुपात | 80.09% | 224.23% | |
| 17 | निवल मालियत पर अर्जन अनुपात | 3.30% | 9.30% | |
| 18 | आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता अनुपात | 55.47 | 50.24 | |
| 19 | एन पी ए अनुपात | | | |
| | सकल एनपीए अनुपात | | | |
| | निवेश : | 0.49% | 0.52% | |
| | फैंक्टरिंग : | 96.70% | 88.71% | |
| | निवल एनपीए अनुपात | | | |
| | निवेश : | 0.49% | 0.52% | |
| | फैंक्टरिंग : | 96.70% | 88.71% | |
| 20 | ऋण हिस्सेदारी अनुपात | - | - | |
| 21 | ऋण सेवा बीमाकृत राशि अनुपात | - | - | |
| 22 | ब्याज सेवा बीमाकृत राशि अनुपात | - | - | |
| 23 | प्रति शेयर अर्जन | 10.25 | 26.95 | |
| 24 | प्रति शेयर अंकित मूल्य | 311.10 | 289.93 | |

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
हस्ताक्षर / (सृष्टिराज अम्बठ)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डिआईएन - 10375617

